Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/37

1. बृजमोहन आत्मज श्री उदा आयु 65 वर्ष जाति मीणा ।
2. हीरालाल आत्मज श्री स्वर्गीय मांगीलाल आयु 36 वर्ष जाति मीणा निवासीगण ग्राम औंकारपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिलाधीश, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी।

वाद संख्याः 100/दावा/2016

1. बृजमोहन आत्मज श्री उदा आयु 65 वर्ष जाति मीणा ।
2. हीरालाल आत्मज श्री स्वर्गीय मांगीलाल आयु 36 वर्ष जाति मीणा निवासीगण ग्राम औंकारपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिलाधीश, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.11.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नवेद केसर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि ाार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06. 2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/37

1. बृजमोहन आत्मज श्री उदा आयु 65 वर्ष जाति मीणा ।
2. हीरालाल आत्मज श्री स्वर्गीय मांगीलाल आयु 36 वर्ष जाति मीणा निवासीगण ग्राम औंकारपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिलाधीश, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा एंव अधिकार घोषणा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झरबालापुरा तहसील व जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 1157 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी बृजमोहन एवं वादी कम 2 हीरालाल के पिता स्वर्गीय मांगीलाल जी पिछले करीब 45 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि वादीगण के पिता स्वर्गीय मांगीलाल ने रामदेव आत्मज गोपी एवं रामकरण आत्मज माधो के दिनांक 16.02.1971 को कय कर कब्जा प्राप्त किया था । उक्त भूमि को कय करने के उपरान्त वादीगण एवं स्वर्गीय मांगीलाल द्वारा लाखों रूपये चर्म करके उक्त कय की गई भूमि को काबिल काश्त बनाया और तभी से उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में है । उक्त भूमि के खातेदार एवं वादीगण के बेचानकर्ता रामदेव आत्मज गोपी एवं रामकरण आत्मज माधो का स्वर्गवास हो चुका है और उनके कोई वैध जीवित उत्तराधिकारी नहीं है । उसके उपरानत भी कुछ व्यक्ति उक्त खातेदारान के फर्जी वारिस बन कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हैं । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे । वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी से रामदेव व रामकरण का नाम विलोपित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद लोक अदालत कैम्प में निर्णित करने से पूर्व वादीगण को कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया । उक्त वाद में निर्णय पारित करने में कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम कीं धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए उसी दिन निर्णित कर दिया जबकि प्रार्थीगण अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित कर दिया । प्रार्थीगण अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी माह सितम्बर, 2017 में हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था । इस आराजी पर वादीगण का पिछले 45 वर्षो से निरन्तर कब्जा है । इस आराजी को वादीगण ने खातेदार रामदेव एवं आत्मज गोपी एवं रामकरण आत्मज माधो के दिनांक 16.02.1971 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । उक्त भूमि को क्रय करने के उपरान्त वादीगण एवं स्वर्गीय मांगीलाल द्वारा लाखों रूपये चर्म करके उक्त क्रय की गई भूमि को काबिल काश्त बनाया और तभी से उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में है । उक्त भूमि के खातेदार एवं वादीगण के बेचानकर्ता रामदेव आत्मज गोपी एवं रामकरण आत्मज माधो का स्वर्गवास हो चुका है और उनके कोई वैध जीवित उत्तराधिकारी नहीं है । वादग्रस्त आराजी से रामदेव एवं रामकरण के अधिकार समाप्त हो चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया है परन्तु कैम्प में उपस्थित होने का कोई नोटिस अपीलान्ट को जारी नहीं किया है । उक्त

वाद में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा भी पेश नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव आत्मज गोपी एवं रामकरण आत्मज माधो के नाम खातेदारी में दर्ज थी । वादीगण ने खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 30.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्टगण ने सरकार के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा एवं हक घोषणा का दावा पेश किया है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रामदेव आत्मज गोपी व रामकरण आत्मज माधो के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादीगण के द्वारा इन दोनों को ही पक्षकार नहीं बनाया गया है । दावे के साथ एक फोटो प्रति तहरीर की संलग्न है परन्तु यह तहरीर अपंजीकृत है । अचल सम्पत्ति जिसका मूल्य 100/– रूपये से अधिक हो उसका विक्रय पंजीकृत दस्तावेज से ही हो सकता है । वादीगण ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है । कृषि भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । इस प्रकार वादीगण का दावा मेन्टेनेबल नहीं है तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा